भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *554

उत्तर देने की तारीख : 02.04.2026

सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत प्रस्ताव

***554. श्री केसिनेनी शिवनाथ :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) की शुरुआत से अब तक इसके तहत देशभर में प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या और तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार तथा आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक इसके लिए वर्ष-वार और राज्य-वार आवंटित और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि कितनी है;

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति और उनके पूरा होने के लिए निर्धारित समय-सीमा का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वस्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार पैदा करने वाले क्लस्टर बनाने के लिए महिला उद्यमियों के कौशल विकास को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) उक्त योजना के कार्यान्वयन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

''एमएसई-सीडीपी के तहत प्रस्तावों'' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *554, जिसका उत्तर दिनांक 02.04.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) केंद्रीय क्षेत्र की एक मांग-संचालित स्कीम है, जिसका उद्देश्य क्लस्टर-आधारित इंटरवेंशनों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

इस स्कीम के तहत, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) प्रस्तावों की पहचान एमएसएमई हितधारकों द्वारा की जाती है और भली-भांति जांच करने के बाद राज्य सरकारों द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाता है। अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और उनके अनुमोदन के लिए सिफारिश की जाती है। भारत सरकार (जीओआई) की अनुदान सहायता को परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन के आधार पर चरणों में जारी किया जाता है।

एमएसई-सीडीपी के तहत, भारत सरकार सीएफसी परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 70% तक (अधिकतम 30.00 करोड़ रुपए) और अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 80% तक (अधिकतम 15.00 करोड़ रुपए) वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में और 50% से अधिक सूक्ष्म/ग्राम उद्यमों या महिला/एससी/एसटी स्वामित्व वाली इकाइयों वाले समूहों में स्थित परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा अधिक अनुदान प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2003 में इस स्कीम की शुरुआत के बाद से, देश भर में कुल 606 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 47 परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में हैं। इनमें 11 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) और 36 अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 5 सीएफसी और 12 आईडी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और संचालन में हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं ने सीएफसी परियोजनाओं में लगभग 8,300 व्यक्तियों और आईडी परियोजनाओं में 57,793 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किया है।

आंध्र प्रदेश में स्वीकृत सामान्य सुविधा केंद्रों, नई औद्योगिक अवसंरचना विकास परियोजनाओं और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं के उन्नयन के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान सहायता का जिला-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(घ) : आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के कौशल विकास को सुनिश्चित करने और स्व-रोजगार सृजन वाले क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

कौशल विकास और क्षमता निर्माण:

उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी): विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ एमएसएमई-विकास संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। विगत पांच वित्त वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में ईएसडीपी स्कीम के तहत महिला लाभान्वितों की संख्या 28388 है।

- **पीएम विश्वकर्मा:** पूरे भारत में कुल 860078 महिलाओं को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिसमें से आंध्र प्रदेश में 90207 महिलाओं को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

- **प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई):** एमएसएमई से संबंधित कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में सहायता करना, जिसमें महिला-विशिष्ट कार्यक्रम भी शामिल हैं।

- **महिला कॅयर योजना:** यह ग्रामीण महिलाओं को कॅयर प्रसंस्करण में प्रशिक्षण प्रदान करता है और उपकरण की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। विगत 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में महिला कॅयर योजना के तहत 596 महिला कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है।

उद्यमिता संवर्धन:

- **एस्पायर स्कीम:** ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं सहित इंक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से उद्यमशीलता और जीविकोपार्जन के अवसरों का संवर्धन। इस स्कीम की शुरुआत से स्कीम से कुल 28568 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

क्रेडिट और वित्तीय सहायता:

- **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** महिलाओं को विशेष श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और वे उच्च सब्सिडी और स्वयं के कम योगदान के लिए पात्र हैं। आंध्र प्रदेश में पीएमईजीपी स्कीम के माध्यम से सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या (3,94,591), मार्जिन मनी सब्सिडी 13,219.30 (करोड़ रुपए में) और अनुमानित सृजित रोजगार - 31,56,728 । महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों की संख्या 1,56,567 है।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):** सूक्ष्म उद्यमों को कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करता है, जिसमें महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है।
- **क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई):** एमएसएमई, जिनमें महिला नेतृत्व वाले उद्यम भी शामिल हैं, को कोलेटरल मुक्त ऋण गारंटी सहायता प्रदान करता है।
- **क्लस्टर और प्रौद्योगिकी सहायता:** एमएसई-सीडीपी के तहत, उच्च सरकारी अनुदान महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ-साथ सामान्य सुविधा केंद्रों, अवसंरचना विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान कर क्लस्टरों तक विस्तारित किए जाते हैं।

(ङ) : स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान समय-समय पर समीक्षा, स्वतंत्र मूल्यांकन और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से किया जाता है। ऐसे आकलन के आधार पर योजना दिशानिर्देशों में, आम तौर पर वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुरूप, समय-समय पर संशोधन किया जाता है ।

अनुबंध

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *554, जिसका उत्तर दिनांक 02.04.2026 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुबंध :

एमएसई-सीडीपी स्कीम के तहत 606 परियोजनाएं (अनुमोदन हेतु प्राप्त)

राज्य	सीएफसी			आईडी			सकल योग
	निर्माणाधीन	पूर्ण किए गए	अनुमोदित परियोजना	निर्माणाधीन	पूर्ण किए गए	अनुमोदित परियोजना	
आंध्र प्रदेश	6	5	**11**	24	12	36	47
अरुणाचल प्रदेश	0	0	**0**	0	1	1	1
असम	1	1	**2**	1	15	16	18
बिहार	0	1	**1**	4	0	4	5
छत्तीसगढ़	0	0	**0**	0	9	9	9
दिल्ली	0	0	**0**	0	8	8	8
गोवा	1	1	**2**	0	0	0	2
गुजरात	12	2	**14**	0	2	2	16
हरियाणा	5	5	**10**	0	28	28	38
हिमाचल प्रदेश	1	0	**1**	4	1	5	6
जम्मू एवं कश्मीर	0	1	**1**	2	7	9	10
झारखंड	0	0	**0**	1	0	1	1
कर्नाटक	14	15	**29**	1	4	5	34
केरल	5	12	**17**	6	10	16	33
मध्य प्रदेश	2	0	**2**	11	14	25	27
महाराष्ट्र	32	18	**50**	0	5	5	55
मणिपुर	2	0	**2**	2	6	8	10
मेघालय	1	0	**1**	0	0	0	1
मिजोरम	1	0	**1**	0	2	2	3
नागालैंड	5	0	**5**	1	1	2	7
ओडिशा	4	3	**7**	6	3	9	16
पुडुचेरी	0	0	**0**	1	0	1	1
पंजाब	3	3	**6**	9	11	20	26
राजस्थान	6	1	**7**	2	34	36	43
सिक्किम	1	0	**1**	0	0	0	1
तमिलनाडु	16	33	**49**	11	40	51	100
तेलंगाना	2	0	**2**	14	12	26	28
त्रिपुरा	0	0	**0**	0	4	4	4
उत्तर प्रदेश	3	5	**8**	15	8	23	31
उत्तराखंड	2	0	**2**	0	3	3	5
पश्चिम बंगाल	2	9	**11**	0	9	9	20
सकल योग	**127**	**115**	**242**	**115**	**249**	**364**	**606**

सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) परियोजनाएं :								
क्र.सं.	**क्लस्टर का नाम**	**जिला**	**क्षेत्र**	**अंतिम अनुमोदन का वर्ष**	**परियोजना लागत (लाख रु. में)**	**भारत सरकार अनुमोदित अनुदान (लाख रु. में)**	**भारत सरकार का जारी अनुदान (लाख रु. में)**	**वर्तमान स्थिति**
1.	नकली आभूषण उद्योग क्लस्टर, मछलीपट्टनम, कृष्णा	कृष्णा	रत्न एवं आभूषण	2007-08	127.85	61.43	48.20	पूरा किया गया
2.	स्वर्ण आभूषण (आभूषण) क्लस्टर में सीएफसी, विजयवाड़ा, कृष्णा	कृष्णा	रत्न एवं आभूषण	2013-14	259.68	225.16	225.16	पूरा किया गया
3.	दाल और दालों के उत्पादों के क्लस्टर में सीएफसी, माचावरम गांव, रायवरम मंडल	पूर्व गोदावरी	खाद्य प्रसंस्करण	2021-22	1483.06	1038.14	1038.14	पूरा किया गया
4.	स्वर्ण आभूषण क्लस्टर में सीएफसी, जग्गय्यपेट कृष्णा जिला	कृष्णा	रत्न एवं आभूषण	2021-22	800.00	614.52	614.52	पूरा किया गया
5.	मुद्रण क्लस्टर में सीएफसी, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला	पूर्व गोदावरी	प्रिंटिंग और पैकेजिंग	2021-22	1476.00	1033.20	1033.20	पूरा किया गया
6.	फर्नीचर विनिर्माण क्लस्टर में सीएफसी,	राजमुंद्री	फर्नीचर	2021-22	1498.41	1048.88	943.992	चालू
7.	होजरी और रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, नेल्लोर में सीएफसी	नेल्लोर	वस्त्र	2021-22	822.98	576.08	518.472	चालू
8.	प्रिंटिंग क्लस्टर में सीएफसी, तिरुपति	तिरुपति	प्रिंटिंग	2024-25	2519.26	1763.48	0.00	चालू

9.	खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर, श्रीकाकुलम में सीएफसी	श्रीकाकुलम	खाद्य प्रसंस्करण	2024-25	2994.00	2095.00	0.00	चालू
10.	कोकोनट क्लस्टर, यलमंचिली मंडल में सीएफसी	पश्चिम गोदावरी	खाद्य प्रसंस्करण	2025-26	2997.45	2098.21	0.00	चालू
11.	सोने के आभूषणों के समूह में सीएफसी, मंगलागिरी गुंटूर जिला।	गुंटूर	रत्न एवं आभूषण	2025-26	999.36	799.49	0.00	चालू

	अवसंरचना विकास (आईडी)/एफएफसी परियोजनाएं :						
क्र.सं.	**आईडी परियोजनाओं का नाम**	**जिला**	**अंतिम अनुमोदन का वर्ष**	**परियोजना लागत (लाख रु. में)**	**भारत सरकार अनुमोदित अनुदान (लाख रु. में)**	**भारत सरकार का जारी अनुदान (लाख रु. में)**	**वर्तमान स्थिति**
1.	नंदियाल जिला मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र	कुरनूल	1994-95	328.00	131.00	65.50	पूरा किया गया
2.	विजयवाड़ा में नया औद्योगिक क्षेत्र	कृष्णा	2002-03	370.00	148.00	147.19	पूरा किया गया
3.	ताडा में नया औद्योगिक क्षेत्र	नेल्लोर	1998-99	404.69	161.87	94.00	पूरा किया गया
4.	कानुरु, विजयवाड़ा में जेआरडी औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन	कृष्णा	2013-14	767.62	614.10	552.00	पूरा किया गया
5.	अमुदलावलासा में औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन	श्रीकाकुलम	2017-18	355.77	284.62	200.00	पूरा किया गया
6.	ऑटोनगर, गाजुवाका में आईडी सेंटर का उन्नयन	विशाखापत्तनम	2018-19	490.64	245.32	200.00	पूरा किया गया
7.	पेद्दापुरम में नई बुनियादी ढांचा विकास	पूर्वी गोदावरी	2018-19	690.91	414.55	284.196	पूरा किया गया
8.	सिंगारायकोंडा में आईडी सेंटर का उन्नयन	प्रकाशम	2018-19	1055.84	500.00	200.00	पूरा किया गया
9.	कोप्परथी आईपी में नया औद्योगिक क्षेत्र	कडापा	2017-18	2202.47	736.48	229.5589	पूरा किया गया
10.	गंडराजपल्ली में नया औद्योगिक क्षेत्र	चित्तूर	2018-19	833.71	666.96	349.016	पूरा किया गया
11.	ऑटोनगर, वेदयापालेम में आईडी सेंटर का उन्नयन	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर,	2018-19	2202.57	800.00	272.40	पूरा किया गया
12.	औद्योगिक क्षेत्र (ऑटोनगर) का उन्नयन	गुंटूर	2021-22	691.97	416.75	261.5517	पूरा किया गया
13.	मछलीपट्टनम में औद्योगिक संपदा (आभूषण) का उन्नयन	कृष्णा	2021-22	817.44	572.21	200.00	चालू
14.	हिन्दुपुर में विकास केंद्र का उन्नयन	अनंतपुरमु	2021-22	715.06	443.71	200.00	चालू

15.	तनुकु में औद्योगिक संपदा का उन्नयन	पश्चिम गोदावरी	2023-24	1010.00	800.00	720.00	चालू
16.	नेल्लिमरला (आकांक्षी) में मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन	विजयनगरम	2023-24	646.08	516.86	200.00	चालू
17.	अचतुरापुरम, गुरजपालेम गांव, रामबिली मंडल में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (एफएफसी) का विकास	विशाखापत्तनम	2023-24	1343.91	1032.56	200.00	चालू
18.	पेद्दापुरम, भीमावरम गांव और समालकोट मंडल में एफएफसी	काकिनाडा	2023-24	1330.00	931.00	465.50	चालू
19.	पगली (ब्लॉक- II) , यर्पेडू मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र	तिरुपति जिला	2023-24	1030.00	721.00	360.50	चालू
20.	गुट्टपाडु, ओर्वाकल मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र	कुरनूल	2023-24	2140.00	1050.00	525.00	चालू
21.	आईपी पर एफएफसी, पेडागंत्यादा	विशाखापत्तनम	2023-24	757.00	529.90	264.95	चालू
22.	5-वेंकटपुरम में नया औद्योगिक क्षेत्र	चित्तूर	2023-24	1430.00	1001.00	500.50	चालू
23.	गोपावरम गांव और मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र	वाई.एस.आर कडापा	2023-24	1525.49	1050.00	945.00	चालू
24.	चांदलूर, दर्सी मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र	प्रकाशम	2023-24	1076.41	753.49	678.141	चालू
25.	जगदुर्थी, जगदुर्थी गांव, धोन मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र	नांदयाल	2023-24	1045.99	732.19	366.095	चालू
26.	वीरपनेनीगुडेम (वी), गन्नवरम मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र (चरण- III)	कृष्णा	2023-24	1470.00	1029.00	926.10	चालू
27.	कालावाचरला (ग्रीनफील्ड), राजनगर मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र	पूर्वी गोदावरी	2023-24	2065.00	1050.00	945.00	चालू

28.	पीडिभीमावरम, रानस्तलम मंडल में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (एफएफसी)	श्रीकाकुलम	2023-24	1460.00	1022.00	511.00	चालू
29.	कप्पलाबांडा गांव, पुट्टापर्थी मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र	श्री सत्य साई जिला	2023-24	1171.13	819.79	409.89	चालू
30.	कोदुरू में नया औद्योगिक क्षेत्र	अनकापल्ली	2023-24	2686.00	1050.00	525.00	चालू
31.	नारमपेटा में नया औद्योगिक क्षेत्र, नारमपेटा गांव, आत्मकुर मंडल	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	2023-24	2343.00	1050.00	525.00	चालू
32.	थाटीगुंटापल्ली गांव, वाल्मीकिपुरम मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र	अन्नमय्या	2023-24	1592.53	1050.00	525.00	चालू
33.	ऑटोनगरत्रोवागुंटा, ओंगोल मंडल में औद्योगिक संपदा का उन्नयन	प्रकाशम	2025-26	1095.00	600.00	300.00	चालू
34.	ब्राह्मणपल्ले गांव, ओर्वाकल मंडल में नया औद्योगिक क्षेत्र	कुरनूल	2025-26	851.99	596.39	298.195	चालू
35.	यूडीएल 2, नागमंगलम गांव में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स	चित्तूर	2025-26	1527.00	1050.00	525.00	चालू
36.	ब्राह्मणपल्ले, ब्राह्मणपल्ले गांव, ओर्वाकल मंडल में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स	कुरनूल	2025-26	1295.92	907.14	453.57	चालू